न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–451/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00451)

1. श्रीमती ममता पुत्री स्व0 श्री देवी सिंह, जाति –रावत, पत्नी श्री पन्ना सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी–बोराज, तहसील व जिला अजमेर, हाल निवासी–गुढा, तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमती काली पुत्री स्व0 श्री देवी सिंह, जाति –रावत, पत्नी श्री शिवराज, उम्र 22 वर्ष निवासी–बोराज, तहसील व जिला अजमेर

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रवण सिंह पुत्र श्री रामा, जाति–रावत, उम्र 45 वर्ष, निवासी–ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर
2. तेजा बेवा मेवा, जाति–रावत, निवासी–ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर
3. मंगल सिंह पुत्र श्री मेवा, जाति–रावत, निवासी–ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर
4. कानसिंह पुत्र श्री मेवा, जाति–रावत, निवासी–ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर
5. देवा पुत्र श्री रूपा, जाति–रावत, निवासी–ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर
6. चम्पा देवी पत्नी श्री सोहनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम नाला, पुष्कर, जिला अजमेर।
7. प्रमोद पाण्डे पुत्र श्री आर0एन0 पाण्डे जाति ब्राहमण जरिए डायरेक्टर, सागा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड सहिता बिहार नई दिल्ली, हाल मकान संख्या 234/15 पुरानी मण्डी, अजमेर
8. उप–पंजीयक, अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.09.2019 राजस्व वाद संख्या 03/2010

उपस्थितः–

1. श्री,राजेन्द्र सिंह रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री,मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 8,9.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 अनुपस्थित.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 05.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 03/2010 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि वादीगण वाद प्रस्तुति की दिनांक 07.01.2010 के बाद न्यायालय अदेशिका दिनांक 16.07.2010, 14.09.2011, 18.03.2019, 17.05.2019, 19.06.2017, व 17.07.2019, की पालना में आज दिवस तक प्रतिवादी संख्या 7 को तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तलबाना पेश नहीं किए। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 16.07.2019, 14.09.2011, 18.03.2019, 17.05.2019, 19.06.2019, व 17.07.2019 के पश्चात् कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरांत भ्झी न्यायालय आदेश दिनांक 16.07.2019, 14.09.2011, 18.03.2019, 17.05.2019, 19.06.2019, व 17.07.2019 को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए। इस हेतु अंतिम अवसर दिया गया कि दिनांक 17.07.2019 को अंतिम अवसर दिए जाने पर भी पालना नहीं की गई। इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई। जिसे न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 16.07.2010, 14.09.2011, 8.03.2019, 17.05.2019, 19.06.2019, व 17.07.2019 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरांत भी पालना नहीं की गई। जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता उक्त वाद पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होता है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत वादी अपने हक व अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है। उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादीगण का वाद पत्र न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 03/2010 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 07 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि उपरोक्त वाद में अपीलांटस का हित निहित करता है क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलांटस की पुश्तैनी आराजी है जिसमें अपीलांटस का हक व हिस्सा निहित करता है, जिसे किसी भी अन्य को बय बेचान करने का हक व अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने झूठे तथ्यों के आधार पर नामांतकरण अपने नाम खुलवा कर उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को बेचान कर दिया है। वादग्रस्त आराजी का बिना विधिवत विभाजन किए बिना उनके 1/3–1/3 हक व हिस्सा घोषित किए उक्त वाद को खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त आराजी अपीलांटस की पुश्तैनी आराजी है जिसमें उनके पिता के देहान्त के बाद से ही 1/3–1/3 हक व हिस्सा निहित करता है। जिसकी घोषणा एवं बंटवारा करवाने का उनका विधिक हक व अधिकार है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय बिना आदेश पारित किए वाद को खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के न्यायिक हितों की अनदेखी कर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 को रजिस्टर्ड नोटिस से भी तलब किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को बिना सुने एवं बिना वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर उनके खातेदारी हक व अधिकार की बिना घोषणा किए वाद पत्र खारिज किया गया है। जिस पर बिना गौर किए आदेश पारित किया गया है। अपीलांटस वादग्रस्त आराजी मे अपना 1/3–1/3 हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.09.2019 को प्रतिवादी संख्या 07 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस पेश नहीं किये तथा बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से पेश नहीं किये जाने के कारण वाद पत्र को अदम पालना में खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। मान्नीय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा विचारण न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने विवादित आराजियात बाबत् वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 92–ए, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत सन् 2010 में प्रस्तुत किया था । किन्तु वादीगण द्वारा दिनांक 18.9.2019 तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 7 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किए के कारण वादी/अपीलांटस का वाद अदम पालना में दिनांक 18.9.2019 को खारिज किया गया है । वादीगण का यह विधिक कर्त्तव्य था कि उन्हें विचारण न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रतिवादी संख्या 7 के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर तलबी की कार्यवाही पूर्ण कराते। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद धारा 53 के तहत भी पेश किया गया है। विभाजन के वाद में प्रत्येक वादी–प्रतिवादी की हैसियत रखता है व प्रत्येक प्रतिवादी वादी की हैसियत रखता है इसलिये हम न्यायहित में प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुणावगुण पर परीक्षण विचारण से करवाना उचित समझते है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर वादीगण को नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी पेश करने हेतु अवसर देवें एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करें। अपीलांटस को भी निर्देश दिये जाते है कि वे उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में दिनांक 02.02.2023 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपस्थित होकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करावें तब तक विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner